

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

\*\*\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,  
नई दिल्ली, दिनांक 27.12.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभागों और संगठनों द्वारा हिन्दी पत्राचार प्रतिशत को बढ़ाने के संबंध में।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2016 को आयोजित 66वीं बैठक में मंत्रालय के कुछ अनुभागों और संगठनों में हिन्दी का पत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से काफी कम होने पर चिंता व्यक्त की गई। चूंकि हिन्दी हमारी राजभाषा है और हिन्दी में कार्य करना हमारा सांवैधानिक दायित्व है, अतः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभागों और संगठनों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे हिन्दी पत्राचार को उत्तरोत्तर बढ़ाने का ठोस प्रयास करें, ताकि हमारे मंत्रालय में राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(श्रद्धा माथुर)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23719033

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/प्रकोष्ठ।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समस्त संगठनों के प्रमुख।
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ।  
मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया इसे अपलोड करवाएं।